

निःशुल्क प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/2019-20/933

दिनांक :- 22/01/2020

प्रेस विज्ञप्ति

**विषय :-** अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2019-20 हेतु छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2019-20 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

| नाम छात्रवृत्ति  | आवेदन पत्र आमंत्रण करने की अंतिम तिथि   | आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि  |
|--|---|---|
| आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति   | महाविद्यालय/विद्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2019 सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। | आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर में संस्था प्रधान (महाविद्यालय) से आवेदन पत्र मय सॉफ्टकॉपी दिनांक 10.02.2020 सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। |
| महिला योग्यता छात्रवृत्ति  |   |   |
| उर्दू छात्रवृत्ति  |   |   |
| मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति                                |   |   |
| ललित कला छात्रवृत्ति (स्कूल ऑफ आर्टस/संगीत संस्थान)                                |   |   |
| राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पृत्रियों को देय छात्रवृत्ति               |   |   |
| भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों / उनकी विधवाओं को छात्रवृत्ति |   |   |
| कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति                   |   |   |
| मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृत्ति                  |   |   |
| स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति                                 |   |   |

उल्लेखित छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित नियम, शर्तों की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट <http://www.hte.rajasthan.gov.in> के Online Scholarship link पर उपलब्ध है। संबंधित छात्र-छात्रा/महाविद्यालय/अभिभावक आवेदन फार्म विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं वे छात्रावास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि तथा छात्रावास वार्डन से प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराकर संलग्न करें। भामाशाह कार्ड (जन आधार कार्ड) व आधार कार्ड की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जावेगी जिसके लिए स्वयं विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा।


संस्था प्रधान सम्पूर्ण आवेदन फार्म की जाँच कर लें कि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा है तथा अपूर्ण/मिथ्या सूचना नहीं दी गयी है। छात्र/छात्रा का फोटो तथा

समस्त प्रमाण पत्रों का संस्था प्रधान द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जायें तथा संस्था से संबंधित समस्त कॉलम की पूर्तियाँ कर मय अभिशंषा सहित अपने हस्ताक्षर मय तिथि एवं सील लगाकर अग्रेषित करें।

नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति फार्म उन्हीं विद्यार्थियों के अग्रेषित किये जावें जिनको गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली हो तथा छात्र/छात्रा ने निर्धारित अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आवेदक विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक सत्यापित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में व्यक्तिशः जमा करावें। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :- पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑन-लाईन अन्तरण किया जाना है। अतः उक्त छात्रवृत्तियों संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक-931 दिनांक-22-1-20 को वेबसाईट पर अपलोड की गई एक्सल सीट समस्त कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनावार डाटा तैयार कर सॉफ्टकॉपी अनिवार्य रूप से आवेदन पत्रों के साथ प्रेषित करें।


  
(प्रदीप कुमार बोरड़)  
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ23(34) लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/2019-20/ ~~934-944~~ दिनांक :- 22/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निःशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है।
4. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निःशुल्क आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें।
7. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें।
8. राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी/तकनीकी विश्वविद्यालय एवं उनके संघटक महाविद्यालय।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान/प्राचार्य, संगीत संस्थान/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
10. समस्त संबंधित विद्यार्थी।
11. प्रभारी, वेबसाईट को अपलोड हेतु।

  
(राजकुमार मीना)  
वित्तीय सलाहकार